


तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व त अहकाम जो इस तामीर में जा
7-2-18	<p>पञ्जाबली पेशवा हुकम वकील उपाधि व हुकम पञ्जाबली दि 5-1-18 तारीख लिफ्त की गयी। 4- परन्तु दि 5-1-18 का हुकम का जो लिफ्त हो जाने के कारण आज पेशवा के लीगल इक्वि कामे आनुका वही लिफ्त जो लिफ्त का हुकम लिफ्त लिफ्त लिफ्त पञ्जाबली दि 28-3-18 का पेशवा है।</p> <p>2</p> <p>पेशवासीन अधिकारों के लिये वकील उपाधि / व्यवस्था / जज हुकम में व्यस्त होने के कारण दि 28-3-18 के राजस्व मुकदमे में तारीख पेशवा दिनांक 18-4-18 नियत की जाती है।</p>	691 7-2-18 जज
20-4-18	<p>दि 18-4-18 का हुकम का जो लिफ्त आज दि 20-4-18 के पेशवा हुकम वही लिफ्त जो लिफ्त का हुकम लिफ्त लिफ्त लिफ्त पेशवा दि 2-5-18 के पेशवा है।</p>	
2.5-18	<p>पञ्जाबली आज लोक अदालत कोर्ट के मय रजवाना पेशवा है। वकील वादी उपर प्रकरण में वरसिलदार का जबाब लिफ्त गया। जबाब वरसिलदार अनुसार वादी के पिता वजरंगा के दो भाई राज्या वमौली थे जो कि नासोलाद जाता होगये थे। इस लिफ्त गज्या पु. माई की संवर्षित खाल में विरासत नेहलू के नाम दूज हुई परन्तु सख्तन से नेहलू के पिता का नाम गज्या अखिल कर दिया गया जो कि हुकम लिफ्त जाना उचित है। इस प्रकार प्राथी वादी के चारे अनुतोष वाकल इतिवादी वरसिलदार द्वारा सहमति प्रकट की गयी। अतः लोक अदालत की भावना से पञ्जाबली इस प्रकार निर्णित हो जाती है कि गज्या रतन पुरा स्थल खाला स 75 से नेहलू पि. गज्या जाति शुजर के स्थल पर नेहलू पु. वजरंगा जाति शुजर शुद्ध किया जावे एवं वादी द्वारा धारा 88</p>	

व	हुकम या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीर में जारी हुए
	<p>के तहत चर्ची गये अनुलोष अनुसार नेहनु पुत्र बजरंगा को ग्राम रतनपुरा स्थित भूराखी खस 30 व 32 लगायत 37 का खसदार कार्तिकर दामित किया जालाही पुत्रावली कुसलशुमार ही दफ्तर से कम ही। तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को नियुक्त अनुसार राजस्व रिपोर्ट में अंकन करके देण तहसीर जारी है।</p> <p></p> <p>उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा</p>	